कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2020-21/ 988 दिनांक 11.02.2021

निमित्तः- अधिषाशी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड शाहबाद।

विषय :-वन भूमि की एवज में गैर वन भूमि आवंटित करने के संबंध में।

संदर्भः- आपका पत्र 321 दिनांक 02.02.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि खण्ड शाहबाद में 1.गाजन से सुवास 2.ढिकवानी से गाडर 3.चौराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा 4.शाहबाद से राजपुर सडक निर्माण हेतु वन विभाग की 28.46है0 भूमि आने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु गैर वन भूमि आंवटन करने हेतु तहसीलदार शाहबाद द्वारा ग्राम मण्डी सहजना खसरा न0 72 रकबा 45.03 बीघा, खसरा न0 73 रकबा 6.11 बीघा, खसरा न075 रकबा 2.0बीघा,खसरा न0 76 रकबा 26.10 बीघा, खसरा न0 88 रकबा 56.09 बीघा,खसरा न0 90 रकबा 24.12 बीघा,खसरा न0 रकबा 39.05 में सें 7.15 बीघा,खसरा न085 रकबा 16.17 बीघा में सें 6.16 बीघा कुल 8 खसरा नं0 में रकबा 192.15 बीघा में सें 175.16 बीघा 28.46है0 किस्म बंजड भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है क्षैत्रीय वन अधिकारी शाहबाद व सर्वेयर कार्यालय हाजा की मौका निरीक्षण रपिोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर कास्त करना बताया गया है। एवं जिला कलक्टर बारां की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 19.06.2019 में (संलग्न पत्र) उक्त प्रस्तावित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा कर वन विभाग के दिये जाने के निंदेश दिये गये थे। इसी निर्देश की पालना में इस विभाग की सहमति दी गई थी।

जबकी आपके पत्र 321 दिनांक 02.02.2021 से उक्त 8 खसरो में 28.46 है0 भूमि को वन विभाग अपने कब्जे में लेकर स्वयं अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही हेतु लिखा गया है जो कि 19.06.2021 के निर्देशों की पालना के विपरीत है। आपके द्वारा जो प्रकरण निरस्तीकरण हेतु दिये गये है उनके वर्तमान में स्टेटस निम्नानुसार है जिसमें आपके द्वारा प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति आने पर तथा कार्य करने की अनुमति लेने से पूर्व ही सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधर पर कार्य कर दिया गया है। जिससे वन भूमि नष्ट हो गई है एवं ग्राम वासियों द्वारा उक्त भूमि का उपयोग वन भूमि के स्थान पर रोड हो गया है ओर अब इस भूमि का उपयोग वानिकी कार्यो हेतु किया जाना असम्भव प्रतीत होता है।

क सं	प्रस्ताव का नाम	प्रस्ताव संख्या	आंवटित भूमि	जमा राशि	वर्तमान स्थति
1.	बीची से रामपुर उपरेटी रोड	FP/RJ/ROAD/6958/2014	2.68 है0	शून्य	violation किया जा चुका है
2.	रामपुर उपरेटी से ईसाटोरी रोड	FP/RJ/ROAD/8746/2014	2.97 है0	शून्य	violation किया जा चुका है
3.	नेहरूपुरा से झीरी रोड	FP/RJ/ROAD/6956/2014	3.20 है0	शून्य	violation किया जा चुका है
4.	कस्बाथाना से बमनगवा रोड	FP/RJ/ROAD/6997/2014	5.20 है0	शून्य	violation नही हुआ ग्रेवल रोड है।

Scanned with CamScanner

	ढिकोनिया से तलावडा रोड	FP/RJ/ROAD/6999/2014	7.50 है0	शून्य	violation किया जा चुका है
6.	केदाकुई से मुहाल रोड	FP/RJ/ROAD/9215/2014	4.30 है0	शून्य	violation किया जा चुका है ग्रेवल रोड है
7.	पाटरी से भटगावं रोड	FP/RJ/ROAD/42427/2014	3.0 है0	2960774.00	ग्रेवल रोड है

1.वर्तमान में इस वन भूमि पर कच्चा रोड/पक्का रोड/गुरेंम/ग्रेवल रोड वना हुआ है और ग्राम वासीयों

द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

2.आपके द्वारा violation किया जा चुका है

3.गैर वन भूमि का आवंटन राज्य सरकार के पत्र कमांक 266 दिनांक 12.02.2015 से हुआ था।जो कि प्रत्येक रोड हेतु किया गया था जिसका आवंटन निरस्तीकरण भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाना है

4.नवीन प्रस्तावो में उक्त भूमि का आवंटन भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाना है।

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned with CamScanner